यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के माह 05/2015 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.06.2017 से 13.06.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. सिंह व श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2015 से 11.05.2015 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, टिहरी गढ़वाल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	1.37	1.36	360.36	335.90	-	-
2015-16	-	-	1.14	0.95	360.72	358.57	-	-
2016-17	-	-	1.06	1.05	385.21	372.24	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग 2 'ब'

<u>प्रस्तर-01-</u> भारत सरकार के निर्देशो के विपरीत रू 3.79 करोड़ की वितरित धनराशि का सत्यापन न कराया जाना।

वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता हेतु मदों एवं मानकों के पुनर्निधार्रण के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014-NDM-I दिनांक 8-4-15 के आदेश की क्रम संख्या-9 में भवन के क्षतिग्रस्त श्रेणी के आधार पर लाभार्थी को प्रदान की गयी सहायता के उपरांत भवन स्वामी/लाभार्थी द्वारा राशि प्रयोग किये जाने के उपरांत क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय जिलाधिकारी, नई टिहरी के अभिलेखों की जांच (जून-2017) में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य सरकार आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से पूर्णतः एवं आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण हेतु जिले की 11 तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले पात्र लाभार्थी को रू 3.79 करोड़ (वर्ष 2015-16 में रू 65.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू 314.16 लाख) के वितरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा तहसीलों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

आगे जिलाधिकारी टिहरी कार्यालय में उपरोक्त विषयक धनराशि वितरण के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरुप लाभार्थी द्वारा धनराशि प्रयुक्त होने के उपरांत भवन निर्माण का अधिकृत सत्यापन राज्य सरकार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नही कराया गया था जिसके परिणामस्वरुप धनराशि के वास्तविक उद्देश्य हेतु उपयोग की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकी थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि तहसीलो द्वारा वितरित धनराशि के सत्यापन प्रपत्र प्रेषित नही किये जा रहे है, एवं भवन क्षति पर धनराशि वितरण के उपरांत तहसीलों द्वारा सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जायेगे।

अतः भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत भवन क्षति हेतु वितरित रू 3.79 करोड़ धनराशि के वास्तविक उद्देश्य हेतु उपयोग की सत्यता प्रमाणित न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

<u>प्रस्तर:2-</u> निर्मित भवनों का हस्तान्तरण लम्बित रखने के कारण अलाभकारी व्यय रू 120.92 लाख।

(A) उपजिलाधिकारी कार्यालय कीर्तिनगर के भवन निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू 80.38 लाख की दिसंबर 2007 में प्रदान की गयी थी, जिसे अगस्त -2011 में रू 90.99 लाख हेतु पुनरीक्षित किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सितंबर - 2012 में पूर्ण किया जाना था, जिसे कार्यदायी संस्था द्वारा अप्रैल- 2013 7 माह विलंब से पूरी किया गया था।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच (जून-2017) में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पर संपूर्ण स्वीकृत राशि रू 90.99 लाख व्यय किये जाने एवं कार्य अप्रैल -2013 में पूर्ण किये जाने के उपरांत विभाग द्वारा फरवरी-2014 में कार्यदायी संस्था को उक्त भवन निर्माण कार्य में पायी गयी कमियों को दूर करने तथा हस्तांतरण की त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिखे जाने के उपरांत कार्यदायी संस्था द्वारा कमियो को पूर्ण करते हुये सितंबर -2014 में हस्तांतरण हेतु विभाग को अवगत करा दिया गया था। परन्तु सितंबर-2014 के उपरांत भी विभाग द्वारा त्वरित हस्तांतरण की कार्यवाही न किये जाने का संज्ञान लेखापरीक्षा द्वारा लगाये जाने पर लेखापरीक्षा अवधि/दिनांक के मध्य 8-जून-2017 को विभाग को पत्र प्रेषित किये गया।

प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अधूरे निर्माण कार्य एवं त्रुटियो के निराकरण न किये जाने के कारण हस्तांतरण की कार्यवाही लंबित है, तथा उक्त हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देश जारी किये गये है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नही था, क्योंकि सितंबर-2014 में कार्यदायी संस्था द्वारा त्रुटियो/कमियो को दूर करते हुये हस्तांतरण हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु लगभग-3 वर्षों के उपरांत भी हस्तांतरण की कार्यवाही लंबित रखी गयी।

अतः हस्तांतरण की लंबित कार्यवाही के फलस्वरुप रू 90.99 लाख के व्ययोपरांत भी भवन निर्माण का लाभ प्राप्त न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(B) राजस्व निरीक्षक चौकी चाका पटवारी चौकी कुमाली एवं पटवारी चौकी मठियाल गॉव के निर्माण कार्य की स्वीकृति क्रमशः वर्ष 2007, 2000 एवं 2007 में रू 29.93 लाख की प्राप्ति हुयी थी, एवं उपरोक्त निर्माण कार्य रू 29.93 लाख के व्ययोपरांत फरवरी-2015 में पूर्ण कर लिये गये थे।

कार्यालय जिलाधिकारी नई टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चौकी कुमाली, चाका एवं पोखरी का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग नई टिहरी द्वारा विभाग को क्रमशः वर्ष 2015 में अवगत कराये जाने के उपरांत भी संप्रेक्षा अवधि तक निर्माण कार्यो का कब्जा विभाग द्वारा नही लिया गया था, जिससे निर्माण कार्यो पर व्यय राशि रू 29.93 लाख अलाभकारी रही थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जल तथा विद्युत संयोजन की न होने के कारण हस्तांतरण की कार्यवाही नही की गयी है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नही था, क्योंकि कार्यदायी संस्था द्वारा फरवरी-2015 में कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत मार्च-2015 में विभाग को हस्तांतरण हेतु पत्र प्रेषित कर दिये जाने के उपरांत भी विभाग द्वारा हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण नही की गयी थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब

<u>प्रस्तरः3- </u>दैवी आपदा एवं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत वितरित धनराशि रू 7.68 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

दैवी आपदा मद के अन्तर्गत वितरित धनराशि के उपयोग के उपरांत धनराशि उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कार्यालय जिलाधिकारी नई टिहरी द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः रू 5.32 करोड़ एवं रू 2.36 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत क्रमशः 6343 एवं 5603 लाभार्थी को प्रदान की गयी थी। परन्तु तहसीलों द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया था।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि तहसीलो द्वारा बैंक ड्राफ्ट से धनराशि वितरण के उपरांत तहसीलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। तहसीलों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लेखा-परीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः रू 7.68 करोड़ धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब

<u>प्रस्तरः04-</u> लंबित वसूली रू 13.94 लाख।

कार्यालय जिलाधिकारी नई टिहरी के विविध देय वसूली संबंधी अभिलेखों का जांच (जून-2017) में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रू 12.68 लाख की वसूली एवं वसूली राशि पर संग्रह व्यय की धनराशि रू 1.26 लाख की वसूली संप्रेक्षा अवधि तक नही की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि की वसूली हेतु नये वित्तीय वर्ष के अन्त में वसूली की कार्यवाही की जाती है, एवं अवशेष धनराशि रू 13.94 लाख की वसूली वर्ष के अन्त में संबंधित तहसीलों द्वारा की जायेगी, जिस हेतु सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नही था, क्योंकि अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा समस्त तहसीलदारों को मुख्य देय एवं निविध देयों के मासिक विवरण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये था, उसमें दर्शाता है कि विभाग द्वारा वसूली हेतु वर्ष के अन्त में कार्यवाही न करके माहवर कार्यवाही करते रहना था, जिससे शत प्रतिशत वसूली की जा सके।

अतः लंबित वसूली रू 13.94 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

विविध देय वसूली से सम्बन्धि विवरण जनपद टिहरी गढवाल।

वित्तीय वर्ष तक	आर0सी0 भेजने वाले विभागों की संख्या	आर0 की धनराशि	वसूल की गई धनराशि	वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2014-15	10	1,07,44,100.00	1,03,41,400.00	4,02,600.00
2015-16	09	2,65,99,900.00	2,56,40,200.00	9,59,100.00
2016-17	10	2,99,09,100.00	2,86,40,700.00	12,68.400.00

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आर0सी0 की धनराशि	आर0 पर संग्रह व्यय	आर0सी0 पर वसूली की गई धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2014-15	1,03,41,400.00	5,29,580.00	40,250.00
2015-16	2,56,40,200.00	15,500.00	82,210.00
2016-17	2,86,40,700.00	20,96,500.00	1,26,840.00

भाग 2 'ब'

<u>प्रस्तरः05-</u> अनियमित क्रय रू 10.00 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 177/XXVII(7)/2008 दिं-1-5-2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रोक्योमेंट रुल्स-2008 के नियम 12(1) के अन्तर्गत रू 15.00 लाख तक एवं पत्रांकः54/ XXVII दिनांक 15/6/2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रोक्योमेंट(*) के क्रय हेतु 3 से अधिक निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए।

कार्यालय जिलाधिकारी नई टिहरी के अभिलेखों की जांच (जून-2017) में पाया गया कि कार्यालय द्वारा ग्रीष्मकाल में अग्निशमन उपकरमों की रू 10.00 लाख की खरीद हेतु निविदायें आमंत्रित करने के पर कार्यालय को केवल दो निविदायें ही प्राप्त हुयी थी, परन्तु विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संसोधित नियमावली-2015 के अन्तर्गत पुनः 3 से अधिक निविदायें प्राप्त करने हेतु कार्यावाही न करते हुये प्राप्त तो निविदादाताओं की निविदा सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी,टिहरी) की अनुमति के बिना स्वीकार करते हुये क्रय कार्यवाही पूर्ण कर ली थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि पत्रावली की जांच एवं सक्षम प्राधिकारी से परामर्श के उपरान्त लेखा परीक्षा द्वारा इंगित आपत्तियों का उत्तर प्रेषित किया जायेगा।

अतः रू 10.00 लाख के अनियमित क्रय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब

<u>प्रस्तरः06-</u> आयुध लाईसेंस फीस के न्युनोरापण से राजस्व क्षति रू 93.090/-

भारत का राजपत्र के भाग-II- खण्ड-3-उपखण्ड (i) दिनांक 15-7-16 के तालिका(ख) के क्रम संख्या -5 के अनुज्ञप्ति प्रारुप II,III एवं iv के अन्तर्गत दिनांक 15-7-2016 से अग्नि आयुध (शस्त्रों) के नवीनीकरण हेतु रू 500/- प्रतिशस्त्र की फीस निर्धारित की गयी है।

कार्यालय जिलाधिकारी, नई टिहरी में अस्त्र शस्त्र लाईसेंस पंजिका एवं नवीनीकरण लाईसेंस पंजिका की जांच में पाया गया कि दिनांक 15-7-2016 से 23-3-17 के मध्य 213 अग्नि आयुधों की लाईसेंस नवीनीकरण फीस/रु 500/- शस्त्र के बजाय पूर्व निर्धारित दर (रु 60/- एवं रु 150/-) से वसूले जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु 93090/- की राजस्व क्षति हुयी है (विवरण संलग्न)। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अधिसूचना दिनांक 15-7-16 कार्यालय में अप्राप्त है, जिसे कार्यालय के संज्ञान में लाये जाने पर इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त किया गया है, एवं अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विभाग का उत्तर इंगित करता है कि अधिसूचना में परिवर्तन का संज्ञान न लिया जाना गंभीर विभागीय उदासीनता का द्योतक है, जिसके परिणामस्वरुप रू 93090/- की राजस्व क्षति सरकार को हुयी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>नवीनीकरण शस्त्र लाईसेन्सों का विवरण</u>

क्रमांक	शस्त्र का प्रकार	संख्या	फीस अवधि	निर्धारित फीस	कुल ली गयी फीस	15.7.2016 से ली जाने वाली फीस	15.7.16 ले ली जाने वाली फीस	कम ली गयी फीस
1.	एस0बी0बी0एल0	176	15.07.2016 से 23.03.2017	रू0 60/-	10560	रू0 500/ शस्त्र	88000/-	77400/-
2.	डी0बी0बी0एल0	25	15.07.2016 से 23.03.2017	रू0 60/-	1500	रू0 500/ शस्त्र	12500/-	11000/-
3.	राइफल	05	15.07.2016 से 23.03.2017	रू0 60/-	300	रू0 500/ शस्त्र	2500/-	2200/-
4.	पिस्टल/रिवाल्वर	07	15.07.2016 से 23.03.2017	रू0 150/-	1050	रू0 500/ शस्त्र	3500/-	2450/-
		213			13410		106500	93090

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-15/2011-12	1 प्रस्तर1- विभाग द्वार भूमि उपलब्ध न कराये जाने के परिणामस्वरुप 3 वर्षों बाद भी रुपए 59.32 लाख की लागत से राजस्व चौकियो का निर्माण कार्य आरंभ न किया जाना।	1,2,3,4,5,6 प्रस्तर1- विभाग द्वारा 58 अपूर्ण पटवारी चौकियों का हस्तांतरण प्राप्त न किया जाना, तथा 14.75 लाख के मूल्य का कार्य न कराया जाना। प्रस्तर2- रु 2361.27 लाख के दैवीय आपदा के कार्य अपूर्ण रहना। प्रस्तर3- रु 75.85 लाख धनराशि का अधोमानक आवासीय भवन का निर्माण कार्य कराया जाना। प्रस्तर4- प्रतिकर से प्राप्त धनराशि रू 1581.87 लाख अनावश्यक अवरूद्ध रखना, तथा भूमि धारकों को वितरण न किया जाना। प्रस्तर5- विगत तीन वर्षों से लगातार रू 20.96 लाख धनराशि अनुपयोगित रहना। प्रस्तर6- रू 836.42 लाख के उपयोगिता प्रमाम पत्र प्राप्त न होना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-05/2015-16	0	1,2,3,4, प्रस्तर1- शासकीय धनराशि रुपए 3.30 लाख का 3 वर्षों तक गबन कर निजी प्रयोग। प्रस्तर2- विभागीय कर्मचारी द्वारा सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर गृह निर्माण करवाना एवं 1.08 लाख का गबन। प्रस्तर3- 28.42 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना। प्रस्तर4- 1040422 का मिलान न कराया जाना।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-15/2011-12	भाग 2(अ) प्रस्तर01 एवं भाग2(ब) प्रस्तर 1,2,3,4,5,6	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त	-	-
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-05/2015-16	भाग2(ब) प्रस्तर 1,2,3,4,	सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा।	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री युगल किशोर पंत	जिलाधिकारी	2014	13.10.2015
2.	श्रीमती ज्योति नीरज खेरवाल	जिलाधिकारी	13.10.2015	29.5.2016
3.	श्री इन्दुधर बौडाई	जिलाधिकारी	29.5.2016	28.4.2017
4.	श्रीमती सोनिका	जिलाधिकारी	28.4.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र